वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन

उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) वैयक्तिक वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, विभिन्न रूपों में वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर, आरबीआई का लक्ष्य लोगों को बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं के ज्ञान के साथ सशक्त बनाना और उन्हें अच्छी तरह से सही निर्णय लेने, बचत और निवेश के महत्व को समझने और डिजिटल वित्तीय परिदृश्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाना है। आरबीआई द्वारा की गई वित्तीय साक्षरता की पहलों में से एक हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) मनाना है। एफएलडब्ल्यू 2024 के भाग के रूप में, नवयुवकों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के विषय पर, स्नातकोत्तर छात्रों के बीच नवीन सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक वित्तीय साक्षरता आइडियाथॉन आयोजित किया जाएगा। विवरण निम्नानुसार है:

नियम और शर्तें:

- यह प्रतियोगिता वर्तमान में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित सभी स्नातकोत्तर छात्रों (डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल छात्रों को छोड़कर) के लिए खुली है।
- प्रतिभागी 'नव युवकों के लिए पैसा मायने रखता है: इस तक पहुँच की कार्यनीतियों पर पुनर्विचार' विषय पर एक विचार पत्र (आइडियेशन पेपर) प्रस्तुत करें।
- शब्द की सीमा 2000 शब्द है.
- प्रस्तुतिकरण का ध्यान उन नवीन तरीकों पर होना चाहिए जिनसे युवाओं के बीच वित्तीय शिक्षा का प्रचार किया जा सके। इस संदर्भ में, आरबीआई की मौजूदा वित्तीय साक्षरता पहलों पर एक संक्षिप्त लेख संलग्न है (अनुलग्नक I)। प्रतिभागी वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-25 का भी उल्लेख कर सकते हैं।
  (https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/reports/national-strategy-for-financial-education-2020-2025-1156)
- प्रतिभागी अपने आइडियेशन पेपर हिंदी या अंग्रेजी में पीडीएफ प्रारूप में जमा करें। एक ही प्रतिभागी द्वारा एक से अधिक प्रविष्टियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- प्रस्तुतियाँ मूल और अप्रकाशित कृति होनी चाहिए।
- साहित्यिक चोरी होने पर प्रतिभागी को अयोग्य माना जाएगा।

- आइडियाथॉन के लिए पंजीकरण दिनांक 26 फरवरी 2024 से शुरू होगा। प्रविष्टियाँ दिनांक 20 मार्च 2024 को शाम 6 बजे तक की जा सकती हैं।
- प्रतिभागी"एफएलडब्ल्यू 2024 आइडियाथॉन" विषय पर अपनी प्रविष्टियाँ flcfiddco@rbi.org.in के साथ मेल कर सकते हैं। प्रविष्टियाँ जमा करते समय, प्रतिभागी का पूरा नाम, विश्वविद्यालय/कॉलेज का नाम, पाठ्यक्रम का विवरण (पाठ्यक्रम और बैच का नाम) और संपर्क विवरण (ई-मेल और मोबाइल नंबर) ई-मेल की विषय-वस्तु में प्रदान किया जा सकता है।
- प्रविष्टियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, व्यवहार्यता, नवीनता और विषय की प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।
- पुरस्कार: शीर्ष तीन प्रस्तुतियों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:
  प्रथम पुरस्कार: ₹1 लाख
  दूसरा पुरस्कार: ₹75,000
  तीसरा पुरस्कार: ₹50,000
- बौद्धिक संपदा: प्रतिभागियों के पास अपनी प्रस्तुति पर अधिकार बरकरार रहेगा, लेकिन आरबीआई के पास कार्यान्वयन उद्देश्यों के लिए उनके विचारों का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- विजेताओं को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- आरबीआई किसी भी प्रविष्टि को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करती है या अनुचित समझी जाती है।
- प्रतियोगिता के संबंध में किसी भी पूछताछ या स्पष्टीकरण के लिए, प्रतिभागी flcfiddco@rbi.org.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

अनुबंध।

आरबीआई की वित्तीय साक्षरता पहल

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय अवधारणाओं और उत्पादों की समझ को गहरा करने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, अभियान और शैक्षिक संसाधन शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोगों को सही वित्तीय विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है। सबसे हालिया पहल में बैंकिंग, वित्त, अर्थशास्त्र और संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए रिज़र्व बैंक और युवा पीढ़ी के बीच संबंध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूली छात्रों को लक्षित वित्तीय साक्षरता पर एक अखिल भारतीय क्विज़ का आयोजन शामिल था। साथ ही साथ, आरबीआई भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहल करने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करता है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **आरबीआई की वेबसाइट:** आरबीआई वेबसाइट अंग्रेजी, हिंदी और 11 स्थानीय भाषाओं में वित्तीय शिक्षा पर एक माइक्रोसाइट (https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/) होस्ट करती है, जो कॉमिक किताबें, फिल्में, वित्तीय योजना पर संदेश और गेम आदि पेश करती है। यह बैंकिंग लोकपाल योजना तक पहुंच भी प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई):** इसे सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा (8) कंपनी के रूप में बुनियादी वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और देश में जनता के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त सामग्री विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। **(**https://ncfe.org.in/**)**
- **वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई - 2025)**: एनसीएफई ने, नियामकों और हितधारकों के सहयोग से, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, देश भर में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु 2020-25 के लिए एनएसएफई विकसित किया है। इसका उद्देश्य समाज में व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से वित्त प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना और बहु-हितधारक दृष्टिकोण का समर्थन करना है (https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/reports/national-strategy-for-financial-education-2020-2025-1156).
- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):** वाणिज्यिक बैंकों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एफएलसी स्थापित करने हेतु सूचित किया गया है।

वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एफएलसी मासिक रूप से बाह्य शिविर आयोजित करता है
(https://www.rbi.org.in/web/rbi/-/notifications/financial-literacy-centres-flcs-revised-guidelines-10222)

- **वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना:** आरबीआई की यह पहल समुदाय-संचालित वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशिष्ट बैंकों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करती है। नवीन और समावेशी तरीकों को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है।

- **आरबीआई के संग्रहालय:** जनता को धन, बैंकिंग और मौद्रिक इतिहास के बारे में शिक्षित करने के लिए आरबीआई द्वारा दो संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जिससे जागरूकता बढ़ रही है।
- **वित्तीय साक्षरता सप्ताह:** आरबीआई की वार्षिक पहल जिसमें अभियानों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें बैंक शाखाओं, एटीएम और वेबसाइटों पर पोस्टर और सामग्री प्रदर्शित की जाती हैं।
- **व्यापक मीडिया अभियान**: आरबीआई का जन जागरूकता अभियान 'आरबीआई कहता है' जनता को बैंकिंग सुविधाओं और सेवाओं के बारे में शिक्षित करता है, अन्य विषयों के साथ साथ उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना**: कई राज्य शैक्षिक बोर्डों की मदद से, स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा पर मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।
- **आउटरीच गतिविधियाँ:** देश भर में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जागरूकता शिविर और टाउन हॉल कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।